THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1997

Section 1	Short title, extent and commencement	
Section 2	Definitions	
Section 3	Power to exempt	
Section 4	Imposition of tax	
Section 4-A	Levy of special tax in respect of certain vehicles	
Section 5	[Omitted]	
Section 6	Additional tax on public service vehicle	
Section 7	[Omitted]	
Section 8	Accident Relief Fund	
Section 9	Payment of tax and penalty	
Section 10	Vehicles not to be used in Uttar Pradesh without payment of tax	
Section 11	Amount payable on liability occurring for the first time	
Section 12	Non-use of vehicle and refund of tax	
Section 13	Declaration by person keeping vehicle, for use	
Section 14	Payment of difference in tax	
Section 15	Record of payment of the tax in the certificate of registration and grant of certificate	
Section 16	Power to stop vehicle and enter	
Section 17	Time table to be furnished	
Section 18	Appeal	
Section 19	Punishment of offences	
Section 20	Recovery of tax	

Section 21	Power to enforce attendance of witnesses etc	
Section 22	Detention of a motor vehicle in case of non-payment of tax	
Section 23	Bar of jurisdiction of Courts	
Section 24	Compounding of offences	
Section 25	Cognizance of offences	
Section 26	Offences by Companies	
Section 27	Protection of action taken in good faith	
Section 28	Power of the State Government to make rules	
Section 29	Power of remove difficulties	
Section 30	Repeal and savings	

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1997

(Act no. 21 of 1997)

An Act to provide for the imposition of tax in the State on motor vehicles and additional tax on motor vehicles engaged in the transport of passengers and goods for hire.

It is hereby enacted in the Forty-eighth year of the Republic of India as follows-

- 1. Short title, extent and commencement (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997.
- (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf and different dates may be appointed for different provisions.

2. Definitions- In this Act.-

- ¹[(a) "Additional tax" means a tax imposed under Section 6.]
- (b) "Appellate Authority" means the Transport Commissioner, Uttar Pradesh or any other officer appointed by the State Government as Appellate Authority;
- (c) "Certificate of registration" means the certificate issued by a competent authority to the effect that a motor vehicle has been duly registered in accordance with the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 or any other law for the time being in force, relating to registration of motor vehicles;
- (d) "Goods carriage" means any motor vehicle constructed or adapted wholly or partly for use for the carriage of goods, or any motor vehicle not so constructed or adapted when used for the carriage of goods either solely or in addition to passengers, and includes a trailor but does not include a motor cab, or a maxi cab or a contract carriage or stage carriage where such contract carriage or stage carriage is authorised to carry a limited quantity of load;
- ²[(d-1) "Green tax" means a tax imposed under the proviso to sub-section (1) of Section 4.]
- (e) "Limited quantity of load" means such quantity of load, not exceeding the limits determined by the Transport Commissioner, Uttar Pradesh as the Registering Authority may specify in the registration certificate in respect of a vehicle;
- (f) "Old motor vehicle" means a motor vehicle other than a transport vehicle registered prior to February 5, 1988 under the provisions of the Motor Vehicles Act, 1939;
- (g) "operator" in respect of a transport vehicle means a person whose name is entered in the permit or in an authorisation certificate issued under the Uttar Pradesh Motor Vehicles (Special Provisions) Act, 1976, and where there is no such permit or authorisation certificate, the person whose name is entered in the certificate of registration in respect of such vehicle, and where the transport vehicle is the subject of a hire purchase agreement, the person in possession of the vehicle under that agreement and where any such person is a minor, the guardian of such minor;
- (h) "owner" in respect of a motor vehicle means the person whose name is entered in the certificate of registration issued in respect of such vehicle, and where such vehicle is the subject of an agreement of hire purchase or lease or hypothecation, the person in possession of the vehicle under that agreement and where any such person is a minor, the guardian of such minor;
- (i) "passenger" in relation to a public service vehicle means any person travelling in a public service vehicle, but does not include the operator, the driver, the conductor or an employee of the operator of the public service vehicle travelling in the *bona fide* discharge of his duties in connection with the public service vehicle:
- 1. Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28-10-2009)
- 2. Ins. by. U.P. Act No. 9 of 2014 (w.e.f. 09-07-2014)

- ¹[(j) "quarter" means a period of three calendar months commencing on the first day of any calendar month.]
- (k) "region" means the area specified as a region under sub-section (1) of Section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 and includes a sub-region as may be specified by the State Government from time to time;
- ²[(k-1) "special tax" means a tax imposed under Section 4-A.]
- (1) "tax" means any tax levied under Section 4;
- (m) "Taxation Officer" means an officer, appointed as such by the State Government and includes any other officer on whom all or any or the powers of the Taxation Officer are conferred by a general or special order of the State Government;
- (n) "transport vehicle" means a goods carriage or a public service vehicle;
- (o) words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Motor Vehicles Act, 1988, shall have the respective meaning assigned to them in that Act;
- **3. Power to exempt** (1) The State Government may, by rule or notified order, subject to such conditions and for such period, as may be specified, exempt, either wholly or partially, any motor vehicle or class of ³[motor vehicles] from,—
 - (a) the operation of this Act or any provision thereof, or
 - (b) the payment of any tax under this Act.
 - $(2)^{4}[***].$
- (3) The State Government may, in the like manner withdraw any exemption granted under sub-section (1) but such withdrawal shall not operate retrospectively.
- **4. Imposition of tax**—(1) Save as otherwise provided in this Act or the rules made thereunder, no motor vehicle other than a transport vehicle, shall be used in any public place in Uttar Pradesh unless a one-time tax at the rate applicable in respect of such motor vehicle, ⁵[as may be specified by the State Government by notification in the Gazette] has been paid in respect thereof:

⁶[Provided that in respect of an old motor vehicle instead of a one time tax, annual tax applicable to such motor vehicle as may be specified by the State Government by notification in the *Gazette* may be paid.]

Provided further that in respect of an old motor vehicle instead of a one-time tax, annual tax applicable to such motor vehicle, as specified in part 'C' First Schedule may be paid.

^{1.} Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28-10-2009)

^{2.} Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28-10-2009)

^{3.} Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28-10-2009)

^{4.} Sub-section (2) omitted by U.P. Act no. 18 of 2009 (w.e.f. 28-10-2009).

^{5.} Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28-10-2009) for the words "as specified in part 'B'

^{6.} Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28-10-2009)

¹[Provided also that from the date of commencement of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2014 no motor vehicle other than a transport vehicle shall be used in any public place after the expiry of validity of registration under the Motor Vehicles Act, 1988 unless a green tax at the rate applicable to such Motor Vehicles as may be specified by notification, by the State Government has been paid in respect thereof."]

²["(1-A) Save as otherwise provided in this Act or the rules made thereunder no three wheeler motor cab and goods carriage having gross vehicle weight not exceeding 3000 Kilograms, shall be used in any public' place in Uttar Pradesh unless yearly tax at such rate of such motor vehicle, as may be specified by the State Government by notification in the *Gazette*, has been paid in respect thereof:

Provided that in respect of a motor vehicle under this sub-section in lieu of yearly tax such amount of one time tax may be payable as specified by the State Government by notification in the *Gazette*:"]

³[(2) Save as otherwise provided by or under this Act no goods carriage other than those specified in sub-section (1-A), construction equipment vehicles, specially designed vehicles, motor cab (other than three wheeler motor cab), maxi cab and public service vehicles owned or controlled by the State Transport Undertaking, shall be used in any public place in Uttar Pradesh unless a quarterly tax at the rate applicable to such motor vehicle as may be specified by the State Government by notification in the *Gazette*, has been paid in respect thereof:

Provided that in respect a motor vehicle under this sub-section instead of quarterly tax, an yearly tax at such rate as may be specified by the State Government may be payable."

(2-A) Save as otherwise provided by or under this Act no public service vehicle other than those referred in sub-section (1-A) and sub-section (2) shall be used in any public place in Uttar Pradesh unless a monthly tax at such rate as may be notified by the State Government is paid in respect thereof:

Provided that in respect a motor vehicle under this sub-section instead of monthly tax, a quarterly or an yearly tax at such rate as may be notified by the State Government may be payable."

(2-B) Where any reciprocal agreement relating to taxation of goods carried by road is entered into between the Government of Uttar Pradesh and any other State Government or a Union Territory, the levy of tax under sub-section (1-A) or sub-section (2) shall, notwithstanding anything contained in the said sub-section, be in accordance with the terms and conditions of such agreement:

Provided that the tax so levied shall not exceed the tax which would otherwise been levied under the Act."

(3) Where any motor vehicle other than a transport vehicle is found plying as a transport vehicle, such tax therefore as may be notified by the State Government, shall be payable.]

^{1.} Ins. by U.P. Act No. 9 of 2014. (w.e.f. 09-07-2014)

^{2.} Ins. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009)

^{3.} Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28-10-2009)

^{4.} Omitted by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28-10-2009).

¹[4-A. Levy of special tax in respect of certain Vehicles.—Save as otherwise provided by or under this Act no public service vehicle covered by temporary permit issued for the conveyance of passengers on special occasions, such as to and from fair and religious gatherings or to carry marriage parties, tourist parties or such other reserved parties by whatever name called shall be operated in public place in Uttar Pradesh unless in addition to tax under Section 4, the special tax at such rate as may be notified by the State Government has been paid in respect thereof.]

5. ²[***]

³[6. Additional tax on public service vehicle—Save as otherwise provided in this Act or the rules made thereunder, no public service vehicle owned or controlled by State Transport Undertaking shall be operated in any public place in Uttar Pradesh unless an additional tax as may be notified by the State Government in addition to tax payable under Section 4 has been paid in respect thereof.]

- 1. Ins. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009)
- 2. Omitted by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28-10-2009). Prior to omission, it stood as under:
- **5.** Additional tax on goods carriages—(1) Save as otherwise provided by or under this Act no goods carriage shall be operated in any public place in Uttar Pradesh, unless there has been paid in respect thereof, in addition to the tax payable under Section 4, an additional tax at the rate applicable to such goods carriage specified, as the case may be, in—
 - (a) Third Schedule, in the case of the goods carriage plying under permits granted by authorities having jurisdiction within Uttar Pradesh, or
 - (b) Part 'B' of the Third Schedule, in the case of goods carriage operating under national permit granted under sub-section (12) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988.
 - (c) Sixth Schedule, in the case of the goods carriage plying under permits granted by authorities having jurisdiction outside Uttar Pradesh for Inter State route party lying in Uttar Pradesh:

Provided that the State Government may, by notification, increase by not more than fifty per cent, the rates of additional tax specified in the said Schedules.

(2) Where any reciprocal agreement relating to taxation of goods carried by road is entered' into between the Government of Uttar Pradésh and any other State Government or a Union Territory, the levy of additional tax under subsection (1) shall, notwithstanding anything contained in the said sub-section, be in accordance with the terms and conditions of such agreement:

Provided that the additional tax so levied shall not exceed the additional tax which could otherwise been levied under this Act.

3. Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009). Prior to substitution, it stood as under:

6. Additional tax on public service vehicle.-(1) Save as otherwise provided in this Act or the rules made thereunder, no public service vehicle, [Subs. by U.P. Act No. 21 of 2004] [other than those owned or controlled by a State Transport undertaking] shall be operated in any public place in Uttar Pradesh unless there has been paid in respect thereof, in addition to the tax payable under Section 4, an additional tax at the rate applicable to such public service vehicle specified in the Fourth Schedule:

Provided that the State Government may, by notification, increase by not more than fifty per cent, the rates of additional tax specified in the said Schedule.

[Subs. by U.P. Act No. 21 of 2004.]["(1-A) Save as otherwise provided in this Act, no Motor Vehicle registered, or adapted to carry more than nine persons excluding the driver shall be kept for use without a permit Section 66 of the Motor Vehicles Act, 1988 unless there has been paid in respect thereof in addition to the tax payable under Section 4, an additional tax payable in respect of that category of vehicle under clause (c) of Article V of the Fourth Schedule:

Provided that the provisions of this sub-section of this sub-section shall be apply to a Motor Vehicle referred to in sub-section (3) of Section 66 of the said Act".

(2) The additional tax in respect of a public service vehicle *[owned or controlled by the *Subs. by U.P.

4. Section 7 omitted by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009). Prior to omission, it stood as under:

- 7. Classification of routes for determining tax or additional tax—(1) For the purpose of determining the amount of the tax payable in respect of transport vehicles under the First Schedule or for determining additional tax payable under the Fourth Schedule all routes in Uttar Pradesh shall be classified by the prescribed authority as "A-Class" routes or "B-Class" routes in such manner as may be prescribed.
 - (2) Until the routes are classified under sub-section (1)—
 - (i) "Special Class" and "A-Class" routes classified under the United Provinces Motor Vehicles Taxation Act, 1935 shall be the "A-Class" routes under this Act, and
 - (ii) "B-Class" and "C-Class" routes, classified under that Act, shall be the "B-Class" routes under this Act.

- **8.** Accident Relief Fund—¹[(1) For the purpose of providing relief to the. passengers or other persons, suffering casualty in any accident in which a public service vehicle is involved, or to heirs of such passengers or other persons, the State Government shall establish a fund to be known as the Uttar Pradesh Road Transport Accident Relief fund. The amount equivalent to two per cent of the tax levied under Section 4 and two per cent of the additional tax levied under Section 6 shall be credited to the said fund.]
- (2) The fund established under sub-section (1) shall be administered and utilized in such manner, as may be prescribed.
 - 9. Payment of tax and penalty—(1) Subject to the provisions of Section 11—
 - (i) the tax payable under sub-section (1) of section 4 shall be paid at the time of the registration of the vehicle under the Motor Vehicles Act, 1988:

Provided that in respect of an old motor vehicle, the tax shall be payable in advance on or before the fifteenth day of January in each year;

- ²["(ii) the tax payable under sub-section (1-A) of Section 4, shall be payable in advance for one year at the time of the registration of the vehicle under the Motor Vehicles Act, 1988 and thereafter on or before be fifteenth day of the first calendar month of the each year next following.
- (iii) the tax payable under sub-section (2) of Section 4 shall be payable in advance for one quarter at the time of registration of the vehicle under the Motor Vehicles Act, 1988 and thereafter on or before the fifteenth day of the first calendar month of the each quarter next following."]
- (iv) ³[(a) the tax payable under sub-section (2-A) of Section 4 shall be payable in advance for one calendar month at the .time of registration of the vehicle under the Motor Vehicles Act, 1988 and thereafter on or before the fifteenth day of each calendar month next following.]
 - (b) ⁴[the special tax payable under Section 4-A] in respect of vehicles covered by temporary permit issued for the conveyance of passengers on special occasions, such as to and from fairs and religious gatherings or to carry marriage parties, tourist parties or such other reserved parties shall be paid at the time of issuance of such temporary permit.
- 1. Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e. f 28.10.2009). Prior to substitution, it stood as under:
- (1) For the purpose of providing relief to the passengers or others, suffering casualty in any accident in which a public service vehicle is involved, or to heirs of such passengers or "other persons, the State Government shall establish a fund to be known as the Uttar Pradesh Road Transport Accidents Relief Fund". The surcharge levied under sub-section (3) of Section 6 and an amount equivalent to one out of twenty-one parts of the additional tax levied under sub-sections (1) and (2) of Section 6 shall be credited to the said Fund.
- 2. Subs by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009). Prior to substitution, it stood as under:
- (ii) the tax payable under sub-section (2) of Section 4 shall be payable in advance for each quarter at the time of the registration of the vehicle under the Motor Vehicles Act, 1988 and thereafter on or before the fifteenth day of January, April, July and October in each year; [Subs. by U.P. Act No. 5 of 1999]. [(iii) the additional tax payable under clause (a) of sub-section (1) Section 5 shall payable in advance on or before the fifteenth day of January, April, July and October in each year.
- 3. Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009). Prior to substitution, it stood as under:
- (a) the additional tax under Section 6 (other than a case to which sub-clause (b) applies) shall be payable in advance on or before fifteenth day of each calendar months at the rate of one-third of the rate specified in the Fourth Schedule.
- 4. Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009). for the words "the additional tax payable under Section 6."

- (2) When any person transfers a motor vehicle registered in his name to any other person, then without prejudice to the liability of the transfer or in this regard, the transferee shall be liable to pay the arrears of tax, additional tax and penalty, if any, in respect of the motor vehicle so transferred, due on or before the date of its transfer, as if the transferee was the owner of the said motor vehicle during the period for which such tax, additional tax or penalty is due.
- (3) Where the tax or additional tax in respect of a motor vehicle is not paid within the period specified in sub-section (1), in addition to the tax or the additional tax due, a penalty at such rate ¹[not exceeding the due amount] as may be prescribed, shall be payable, for which the owner and the operator if any shall be jointly and severally liable.
- (4) In computing the amount of tax, additional tax or penalty under this Act the amount shall be rounded off to the nearest rupee, that is to say a fraction of a rupee being fifty paise or more shall be rounded off to the next higher rupee and any fraction less than fifty paise shall be ignored.
- 10. Vehicles not to be used in Uttar Pradesh without payment of tax—²[(1) Notwithstanding anything contained in Section 9, no transport Vehicle shall ply in Uttar Pradesh—]
 - ³[(a) under a temporary permit granted under the Motor vehicles Act, 1988 by an authority having jurisdiction outside Uttar Pradesh unless there has been paid in respect thereof a tax under Section 4 for its use or stay in Uttar Pradesh.]
 - (b) under a national permit granted under sub-section (12) of Section 88 of the said Act by an authority having jurisdiction outside Uttar Pradesh unless there has been paid in respect thereof ⁴[a tax under Section 4] calculated ⁵[at the rate specified by the State Government by Notification in the Gazette] in the manner prescribed.
 - under a permit granted under sub-section (9) of Section 88 of the said Act read with the Motor Vehicles (An India Permit for Tourist Transport Operators) Rules, 1993 by an authority having jurisdiction outside Uttar Pradesh unless there has been paid in respect thereof ⁶[a tax under Section 4] at the rate ⁷[specified by the State government by notification in the Gazette] in the manner prescribed:

⁸[***]

- 1. Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009). for the words "not exceeding twenty five per cent of the due amount."
- 2. Subs. by U.P. Act No. 25 of 2001. (w.e.f. 06-10-2001)
- 3. Subs by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009). Prior to substitution, it stood as under:
- (a) under a temporary permit granted under the Motor Vehicles Act, 1988, by an authority having jurisdiction outside Uttar Pradesh unless there has been paid in respect thereof-
 - (i) a tax under Section 4 calculated at the appropriate rate specified in the First Schedule and in the manner provided under sub-section (2) for the number of weeks of its use or stay in Uttar Pradesh;
 - (ii) an additional tax under Section 5 or Section 6, as the case may be, calculated at the appropriate rate specified in the Sixth Schedule.
- 4. Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009) for the words "an additional tax under Section 5".
- 5. Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009) for the words "at the rate specified in Clause (B) of the Third Schedule".
- 6. Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009) for the words "additional tax under Section 6".
- 7. Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009) for the words "specified in sub-clause (b) of Article V of the Fourth Schedule".
- 8. Proviso omitted by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009). Prior to omission, it stood as under:
- Provided that the State Government may, by notification increase by not more than fifty per cent, the rates of tax or additional tax, as the case may be, specified in the said Schedules.

$$(2)^{1}[***]$$

(3) If such transport vehicle is found plying in Uttar Pradesh without payment of the tax or additional tax payable under this Act such tax or additional tax along with a penalty, ²[equivalent to five times of the due tax] shall be payable.

³["Provided that ⁴[the tax under this section] shall not be payable in respect of Motor Cabs plying exclusively within the notified area of Noida, Greater Noida and Ghaziabad Development Authority from Delhi on the basis of permit issued by the Transport Authorities of National Capital Territory Delhi."]

⁵[Provided further that the tax under this section shall not be payable in respect of motor cabs (CNG operated) plying exclusively with the limits of National Capital Region under the permit granted as per agreement entered into with the Governments of Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan and the National Capital Territory of Delhi.]

⁶[Provided also that where the operation of vehicles is permitted exclusively in the free zone declared in the reciprocal agreement between the State of Uttar Pradesh and the State of Madhya Pradesh, wherein tax exemption is also allowed, the tax payable under this section shall be exempted wholly or partially in accordance with the said agreement in the Chitrakoot Local Area.]

- ⁷[11. Amount payable on liability occurring for the first time—Save as otherwise provided by or under this Act when, in respect of a transport vehicle, the tax becomes payable for the first time after the commencement of any calendar month, the tax payable under Section 4 shall be one third of the appropriate quarterly tax or one-twelfth of the appropriate yearly tax for each calendar month or part there of in respect of which the tax is payable.]
- 12. Non-use of vehicle and refund of tax—(1) When any person who has paid the tax in respect of a transport vehicle, proves to the satisfaction of the Taxation Officer in the prescribed manner that the motor vehicle in respect whereof such tax has been paid, has not been used for a continuous period of one month or more since the tax was last paid, he shall be entitled to a refund of an amount equal to ⁸[one-third of the rate of quarterly tax or one twelth of the yearly tax, as the case may be] payable in respect of such vehicle for each ⁹[thirty days] of such period for which such tax has been paid:

Provided that no such refund shall be admissible unless such person has surrendered the certificate of registration, the token, if any, issued in respect of the vehicle and the permit, if any, to the Taxation Officer, before the period for which such refund is claimed.

¹⁰[Provided further that where one time tax has been paid for a motor vehicle under subsection (1-A) of Section 4, the amount equivalent to 1/120 for each month shall be refunded in respect of such vehicle.]

^{1.} Sub-section (2) omitted by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009). Prior to omission, stood as under:

⁽²⁾ For the purpose of levy and payment of tax [under sub-clause (i) of clause (a)] of sub-section (1), the tax payable for any two weeks or part thereof shall be 2/13th of the rate specified in the First Schedule.

^{2.} Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009) for the words "equivalent to ten times of the due tax or additional tax."

^{3.} Ins. by U.P. Act No. 27 of 2007. (w.e.f. 19-11-2007)

^{4.} Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009) for the words "the tax and additional tax under this section."

^{5.} ins. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009).

^{6.} ins. by U.P. Act No. 39 of 2021 (w.e.f. 09-11-2021).

^{7.} Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.ef. 28.10.2009). Prior to substitution, it stood as under:

^{11.} Amount payable on liability occurring for the first time. When, in respect of a transport vehicle, tax or the additional tax becomes payable for the first time after the commencement of a quarter, the tax or additional tax payable under Section 4 or Section 5 or Section 6, as the case may be, shall be one third of the appropriate quarterly tax for each calendar month or part thereof in respect of which the tax is payable.

^{8.} Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009) for the words "one-third of the rate of quarterly tax".

^{9.} Subs. by U.P. Act No. 5 of 1999. (w.e.f. 09-11-1998)

^{10.} Ins. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009).

(2) Where the operator or, as the case may be, the owner of a motor vehicle, does not intend to use his vehicle for a period of one month or more he shall, before the date the tax or additional tax, as the case may be, is due, surrender the certificate of registration, the token, if any, issued in respect of the motor vehicle and the permit, if any, to the Taxation Officer of the region where the tax or additional tax was last paid and on such surrender, no tax or additional tax under this Act shall be payable in respect of such vehicle for each complete calendar month of the period during which the vehicle remains withdraw from use and the aforesaid documents remain surrendered with the Taxation Officer:

Provided that in case such vehicle is found plying during the period when its documents as mentioned in this sub-section remain surrendered with the Taxation Officer, such owner or operator, as the case may be, shall be liable to ¹[the tax and the additional tax as if the documents were not surrendered and shall also be liable to the penalty equivalent to five times of the tax and additional tax].

(3) Where the owner of ²[a motor vehicle] in respect whereof one-time tax has been paid under this Act proves to the satisfaction of the Taxation Officer in prescribed manner that such motor vehicle has not been used for a continuous period of one month or more, he shall be entitled to a refund of ³[such tax as may be specified by the State Government by notification in the *Gazette*] for the said period :

Provided that no such refund shall be admissible, unless the certificate of registration and the token, if any, issued in respect of the vehicle are surrendered by the owner with the Taxation Officer:

Provided further that the total amount of refund under this sub-section shall not exceed the one-time tax paid under this Act.

- (4) In calculating the amount of refund under sub-section (3) any portion of the period being less than a month, shall be ignored.
- (5) The owner of a motor vehicle other than a transport vehicle, in respect whereof one-time tax has been paid under this Act shall be entitled to refund of such tax at the rates ⁴[specified by the State Government by notification in the *Gazette*] on the ground that he has, after payment of such tax, paid tax in respect of such vehicle under any enactment relating to any tax on motor vehicles in any other State or Union Territory as a consequence of such vehicle having been brought over permanently to such other State or Union Territory or that such motor vehicle has been converted into a transport vehicle or that the registration of such motor vehicle has been cancelled.
- (6) Where any person who has paid the tax other than one-time tax in respect of an old motor vehicle, proves to the satisfaction of the Taxation Officer that the motor vehicle, in respect of which such tax has been paid, has not been used for a continuous period of one month or more since the tax or installment was last paid, he shall be entitled to a refund of an amount equal to one-twelfth of the rate of annual tax payable in respect of such vehicle for each complete calendar month of such period for which such tax has been paid:

Provided that no such refund shall be admissible unless such person has surrendered the certificate of registration and the token, if any, issued in respect of the vehicle to the Taxation Officer, before the period for which such refund is claimed.

^{1.} Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009) for the words "the tax as if the said documents were not surrendered and shall also be liable to the penalty payable under sub-section (3) of Section 9".

^{2.} Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009) for the words "motor vehicle other than a transport vehicle."

^{3.} Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009) for the words "such tax at the rates specified in part 'A' of the Second Schedule."

^{4.} Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009) for the words "specified in Part 'B'."

- (7) An operator of a transport vehicle entitled to any refund of tax under sub-section (1), shall also be entitled to refund of such portion of the additional tax paid ¹[under Section 6], as is attributable to the period for which he is entitled to refund under sub-section (1); and the amount of such refund shall be calculated on the same principle as is laid down in the said sub-section.
- ²[(8) Where the operator, or as the case may be, the owner of a motor vehicle is unable to use his motor vehicle due to an accident of the said vehicle and the certificate of registration, the token, if any, issued in respect of the said vehicle and the permit, if any are surrendered to the Taxation Officer within a week from the date of such accident together with a copy of the first information report, such surrender shall be deemed to have been made on the date of the accident]
- 13. Declaration by person keeping vehicle, for use—(1) The owner or operator of every motor vehicle shall make a declaration in respect of it in the prescribed form and shall deliver the declaration within the prescribed time to the Taxation Officer and shall pay to him the tax or the additional tax which he appears by such declaration to the liable to pay in respect of such vehicle, as required by or under this Act.
- (2) Where a motor vehicle is altered so as to render the owner or operator thereof liable to payment of enhanced tax or additional tax under Section 14, such owner of operator shall make, within the prescribed time, an additional declaration in the prescribed form showing the nature of the alteration made and shall deliver it to the Taxation Officer and shall pay to him the difference in tax or additional tax payable under Section 14.
- 14. Payment of difference in tax—Where any motor vehicle in respect of which the tax or additional tax has been paid is altered in such manner as to cause the vehicle to become a vehicle in respect of which a higher rate of tax or additional tax is payable, the owner or operator thereof shall in respect of such vehicle be liable jointly and severally to pay the difference between the amount of tax or additional tax payable after its being so altered.
- 15. Record of payment of the tax in the certificate of registration and grant of ³[certificate]—(1) The Taxation Officer shall record the payment of tax in the certificate of registration granted in respect of the motor vehicle and in the case of a transport vehicle shall also issue a ⁴[certificate] in the prescribed form.
- (2) The Taxation Officer shall record payment of additional tax under ⁵[Section 6], as the case may be, in the certificate prescribed in this behalf, to be issued by him.
- 16. Power to stop vehicle and enter—The driver of a motor vehicle shall cause the vehicle to stop and remain stationary when required so to do by the Taxation Officer, or any other Officer authorised by the State Government in this behalf, in order to enable him to carry out any duty imposed on him by or under this Act and such authority or other Officer may also enter the vehicle and travel in it for doing so.
- 17. Time table to be furnished—(1) Every operator of stage carriage shall within such time and in such manner as may be prescribed, furnish to, the Taxation Officer a table regulating timings of arrival and departure of his stage carriage, as well as the number of single trips made in a quarter and such other particulars connected with his business, as the Taxation Officer may, by order, from time to time, require.
- (2) Any alteration in the timings or particulars referred to in sub-section (1), shall be intimated by the operator to the Taxation Officer within fifteen days of such alteration taking effect.

^{1.} Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009) for the words "under section 5 or, as the case may be, under section 6."

^{2.} Ins. by U.P. Act No. 5 of 1999.

^{3.} Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009) for the words "token".

^{4.} Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009) for the words "token".

^{5.} Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009) for the words "Section 5 or Section 6."

- **18. Appeal**—(1) Any person aggrieved by an order of the Taxation Officer made ¹[under Section 4, Section 6 and Section 12] may, within thirty days from the date of receipt of such order, prefer an appeal to the Appellate Authority.
- (2) The Appellate Authority may, after giving the appellant an opportunity of being heard pass such orders as it thinks fit.
- (3) Every order made by the Appellate Authority in an appeal under sub- section (1) shall be final.
- 19. Punishment of offences—Whoever contravenes any of the provisions of this Act or the rules made thereunder shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees and for the second or subsequent similar offence, be punishable with fine which may extended to one thousand rupees:

Provided that no court shall, except for reasons to be recorded in writing, impose a fine of less than five hundred rupees for any such second or subsequent offence.

- **20.** Recovery of tax—(1) Arrears of any tax or additional tax or penalty payable under this Act shall be recoverable as arrears of land revenue.
- (2) The tax, the additional tax and penalty payable under this Act shall be first charge on the motor vehicle including its accessories, in respect whereof it is due.
- ²[(3) The Taxation Officer shall raise a demand in the form as may be prescribed, from the owner or operator, as the case may be, for the arrears of tax and additional tax and penalty of each year, which shall also include the arrears of tax, additional tax or penalty, if any, of preceding years.]
- **21.** Power to enforce attendance of witnesses etc.. The appellate authority, or the Taxation Officer making any inquiry under this Act shall have all such powers as are vested in a civil court while trying a civil suit, in respect of,-
 - (a) the summoning and enforcing of attendance of witnesses, and examining them on oath or affirmation or otherwise and the issue of commission or request to examine witnesses;
 - (b) compelling anyone for the production of any document; and
 - (c) punishing persons guilty of disobedience of orders issued in exercise of such powers referred to in the preceding clauses.
- **22. Detention of ³[a motor vehicle] in case of non-payment of tax-**(1) Where an officer authorized by the State Government in this behalf, has reason to believe that ⁴[a motor vehicle] has been or is being used by a person without payment of tax, additional tax or penalty if any, he may seize and detain the ⁵[a motor vehicle] and for the purpose take, or cause to be taken, such steps as may be considered, by him necessary, for the safe-custody of the ⁶[motor vehicle] and, in particular, require the driver of such vehicle to convey it to the nearest police station or any other place specified by him:

Provided that the officer seizing the vehicle, shall, within forty-eight hours of such seizure, send a report of such seizure to the concerned Taxation Officer.

(2) ⁷[A motor vehicle] seized or detained under this section shall be released by the Taxation Officer immediately on payment of the tax, additional tax, penalty or other amount due for the non-payment whereof the vehicle was so seized or detained.

```
1. Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009) for the words "under section 12."
```

^{2.} Ins. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009).

^{3.} Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009) for the words "a transport vehicle".

^{4.} Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009) for the words "a transport vehicle".

^{5.} Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009) for the words "a transport vehicle".

^{6.} Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009) for the words "a transport vehicle".

^{7.} Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009) for the words "a transport vehicle".

- ¹[(3) Where the tax, additional tax, penalty or other amount due for the non-payment whereof ²[a motor vehicle] has been seized or detained under this section, is not paid under subsection (2) within the period of forty-five days from the date of seizure or detention of the Vehicle, the Transport Commissioner may, without prejudice to any other action that may be taken under this Act, cause the vehicle to be sold by public auction in the manner prescribed and the sale proceeds of such vehicle shall be adjusted towards the tax, additional tax, the penalty or the other amount due in respect of such vehicle and the expenses, if any, of such auction and the balance, if any, shall be refunded to the owner or the operator of the vehicle.]
- 23. Bar of jurisdiction of courts-No Civil Court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of anything done, any action taken or any order or direction issued by the State Government or any other authority or officer in pursuance of any power conferred by, or in relation to its or his functions under this Act.
- **24.** Compounding of offences-(1) Subject to such conditions as may be prescribed, an offence punishable under this Act may be compounded either before or after the institution of the prosecution, by the Taxation Officer or any other officer empowered by the State Government in this behalf by notification, on realization of an amount equivalent to fifty percent of the maximum fine provided for such offence under this Act.
 - (2) When an offence is so compounded-
 - i. before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution for such offence;
 - ii. after the institution of the prosecution, the compounding shall amount to acquittal of the offender and no further proceedings shall be taken against the person for the same offence;
- **25.** Cognizance of offences-No Court shall take cognizance of an offence punishable under this Act except on a report in writing of the facts constituting such offence made by the Taxation Officer.
- **26.** Offences by Companies-(1) If the person committing offence under this Act is a company, the company, as well as every person in charge of an responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be quality of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of, any secretary, director, manager, or other officer of the company, such secretary, director, manager, or other officer, shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation-For the purpose of this section,-

- a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals: and
- b) "director" in relation to a firm, means a partner in the firm.
- 1. Ins. by U.P. Act No. 25 of 2001 (w.e.f. 06-10-2001)
- 2. Subs. by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009) for the words "a transport vehicle".

- 27. Protection of action taken in good faith-No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any of its officers or servants in respect of anything which in good faith is done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule, order or direction made or given there under.
- **28.** Power of State Government to make rules- (1) The State Government may, by notification make rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the State Government may make rules for all or any of the following purpose, namely
 - a) prescribing the manner and the form in which, and the authority to which, application for payment of tax or additional tax under this Act shall be presented;
 - b) prescribing the form of any certificate, declaration, notice, receipt or token and the particulars to be stated therein and the manner of exhibiting a token on a motor vehicle;
 - c) prescribing the manner in which, and the fees on payment of which, token or certificate may be granted or transferred under this Act;
 - d) prescribing generally the authorities by whom, and manner in which, any duties in respect of or incidental to the carrying into effect of the provisions of this Act, may be performed;
 - e) regulating the method of payment and recovery of the tax, additional tax and penalty:
 - f) regulating the manner in which exemptions from, and refunds of the tax or additional tax may be claimed and granted;
 - g) prescribing the fee for appeal and regulating the manner in which appeals may be instituted and heard;
 - h) prescribing the manner of service of orders passed or notices issued under this Act;
 - i) prescribing the time for, and manner of, furnishing the time table and other particulars under Section 17:
 - j) prescribing the manner in which routes are to be classified;
 - k) prescribing the manner in which the Uttar Pradesh Road Transport Accidents Relief Funds shall be administered and utilised;
 - 1) any other matter for which rules are to be or may be made.
- **29. Power to remove difficulties-**(1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty, by a notified order, direct that the provisions of this Act shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after the expiration of two years from the date of the commencement of this Act.

- (2) Every order made under sub-section (1) shall be laid as soon as may be, before both the Houses of State Legislature; and the provisions of sub-section (1) of Section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.
- (3) No order under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred to in sub-section (1) existed or required to be removed.
- **30. Repeal and savings**-(1) The United Provinces Motor Vehicles Taxation Act, 1935, the Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatri-Kar) Adhiniyam, 1962, and the Uttar Pradesh Motor Gadi (Mal-Kar) Adhiniyam, 1964, are hereby repealed.
- (2) Without prejudice to the generally of Section 6 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904, the repeal of the enactments referred to in sub section (1) shall not affect any liability

liability as aforesaid instituted after the commencement of this Act, shall be continued and disposed of as if this Act had not come into force.				
Note All Schedules in the principal Act have been omitted by U.P. Act No. 18 of 2009 (w.e.f. 28.10.2009).				

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997

धारा-1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	
धारा-2	परिभाषाएं	
धारा-3	छूट देने की शक्ति	`
धारा-4	कर का आरोपण	
धारा-4-क	कतिपय यानों के सम्बन्ध में विशेष कर का उद्ग्रहण	
धारा-5	माल वाहनों पर अतिरिक्त कर	
धारा-6	सार्वजनिक सेवायान पर अतिरिक्त कर	
धारा-7	विलोपित	
धारा-8	दुर्घटना राहत निधि	
धारा-9	कर और शास्ति का भुगतान	
धारा-10	कर भुगतान किये बिना उत्तर प्रदेश में यानों का उपयोग नहीं किया	
	जायेगा	
धारा-11	प्रथम कर के दायित्व पर देय धनराशि	
धारा-12	यान का अनुपयोग और कर का वापस करना	
धारा-13	यान का उपयोगार्थ रखने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा	
धारा-14	कर में अन्तर का भुगतान	
धारा-15	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में कर के भुगतान का अभिलेखन और	
	प्रमाण-पत्र का दिया जाना	
धारा-16	यान को रोकने और प्रवेश करने की शक्ति	
धारा-17	समय-सारणी का दिया जाना	
धारा-18	अपील	
धारा-19	अपराधों का दण्ड	
धारा-20	कर की वस्ती	
धारा-21	साक्षियों आदि को हाजिर होने को प्रवृत करने की शक्ति	
धारा-22	कर का भुगतान न करने की दशा में परिवहन यान को निरूद्ध करना	
धारा-23	न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक	
धारा-24	अपराधों का प्रशमन	
धारा-25	अपराध का संज्ञान	
धारा-26	कम्पनियों द्वारा अपराध	

धारा-27	सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण	
धारा-28	राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति	
धारा-29	कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति	
धारा-30	निरसन और अपवाद	

<u>उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997</u> (<u>उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या- 21 सन् 1997</u>)

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 कहा जायेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
- (3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे और विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।
- 2. परिभाषायं- इस अधिनियम में, -
- 1[(क) "अतिरिक्त कर" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन आरोपित कर से है;]
- (ख) "अपील प्राधिकारी" का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश या राज्य सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी से है;
- (ग) "रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र" का ताप्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये इस आशय के प्रमाण-पत्र से है कि मोटर यान को मोटर यान अधिनियम, 1988, या मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, के उपबन्धों के अनुसार सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है;
- (घ) "माल वाहन" का तात्पर्य किसी ऐसे मोटर यान से है जो माल ढोने के लिए पूर्णतः या अंशतः उपयोग में लाये जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित न हो पर जब वह केवल माल ढोने या यात्रियों के साथ-साथ माल ढोने के लिए उपयोग में लाया जाय और इसके अंतर्गत ट्रेलर भी है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई मोटर टैक्सी या बड़ी टैक्सी, या कोई ठेका गाड़ी या कोई मंजिली गाड़ी नहीं है जब ऐसी ठेकागाड़ी या मंजिली गाड़ी परिसीमित मात्रा में माल ढोने के लिए प्राधिकृत हो।
- ²[(घ-1) "ग्रीन टैक्स" का तात्पर्य धारा 4 मेंए उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन अधिरोपित कर से है।]
- (इ) "परिसीमित मात्रा का भार" का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा अवधारित सीमा से अनिधक भार के ऐसे परिमाण से है जैसा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी यान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट करें;

^{1.} खण्ड (क) उ.प्र. अधिनियम सं. 18 सन् २००९ द्वारा प्रतिस्थापित (२८.१०.२००९ से प्रभावी)

^{2.} खण्ड (घ-1) उ.प्र. अधिनियम सं. ९ सन् २०१४ द्वारा अन्तःस्थापित। (०९.०७.२०१४ से प्रभावी)

- (च) "पुराना मोटरयान" का तात्पर्य परिवहन यान से भिन्न ऐसे मोटरयान से है जो मोटरयान अधिनियम, 1939 के उपबन्धों के अधीन 05 फरवरी, 1988 के पूर्व रजिस्ट्रीकृत हो;
- (छ) किसी परिवहन योन के सम्बन्ध में "संचालक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम परिमट में या उत्तर प्रदेश मोटर गाडी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1976 के अधीन जारी किये गये किसी प्राधिकार प्रमाण-पत्र में दर्ज हो और जहां ऐसा कोई परिमट या प्राधिकार प्रमाण-पत्र न हो, वहां उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसका नाम ऐसे यान के सम्बन्ध में रिजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दर्ज हो, और जहां परिवहन यान किसी अवक्रय करार के अधीन हो वहां उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका उस यान पर करार के अधीन कब्जा हो, और जहां ऐसा व्यक्ति अवयस्क हो वहां उसका तात्पर्य ऐसे अवयस्क के संरक्षक से है;
- (ज) किसी मोटर यान के सम्बन्ध में "स्वामी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका नाम ऐसे यान के सम्बन्ध में जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दर्ज हो और जहाँ ऐसा यान किसी अवक्रय करार या पट्टे या आडमान के अधीन हो वहाँ उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका यान पर उस करार के अधीन कब्जा हो और जहाँ ऐसा व्यक्ति अवयस्क हो वहाँ उसका तात्पर्य ऐसे अवयस्क के संरक्षक से है:
- (झ) किसी सार्वजनिक सेवा यान के सम्बन्ध में "यात्री" का तात्पर्य किसी सार्वजनिक सेवा यान में यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति से है, किन्तु इसके अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा यान से संसक्त अपने कर्तव्यों के सद्भावपूर्ण निर्वहन में यात्रा करने वाले सार्वजनिक सेवा यान के संचालक, ड्राइवर, कण्डक्टर या संचालक का कोई कर्मचारी नहीं आता है;
- ¹[(ञ) "तिमाही" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर मास के प्रथम दिवस को प्रारम्भ होने वाले तीन कैलेण्डर मास की अविध से है;
- (ट) "सम्भाग" का तात्पर्य मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन सम्भाग के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से है और इसके अन्तर्गत कोई उप सम्भाग भी है, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय;
- 2[(ट-1)"विशेष कर" का तात्पर्य धारा 4-क के अधीन अधिरोपित कर से है;
- (ठ) "कर" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन उद्गृहीत किसी कर से है;
- (ड) "कराधान अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुंक्त किसी अधिकारी से है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा अन्य अधिकारी भी है जिसे राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कराधान अधिकारी की सभी या कोई शक्ति प्रदान की जाय:

^{1.} खण्ड (ञ) उ. प्र. अधिनियम सं. 18 सन् २००९ द्वारा प्रतिस्थापित (२८.१०.२००९ से प्रभावी)

^{2.} उ.प्र. अधिनियम सं. 18 सन् २००९ द्वारा अन्तःस्थापित (२८.१०.२००९ से प्रभावी)

- (ढ) "परिवहन यान" का तात्पर्य किसी माल वाहन या सार्वजनिक सेवा यान से है;
- (ण) "इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और मोटर यान अधिनियम, 1988 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में क्रमशः उनके लिए दिये गये है।
- 3- **छूट देने की शक्ति-(1)** राज्य सरकार नियम या अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रखते हुए और ऐसी अवधि के लिए जैसी विनिर्दिष्ट की जाये ¹[मोटर यानों] के किसी वर्ग को पूर्णतः या अंशतः निम्नलिखित से छूट दे सकती है:-
 - (क) इस अधिनियम या इसके किसी उपबन्ध के प्रवर्तन से, या
 - (ख) इस अधिनियम के अधीन किसी कर के भुगतान से।
- (2) ²[विलोपित]
- (3) राज्य सरकार इसी तरह उपधारा (1) के अधीन दी गयी छूट वापस ले सकती है किन्तु ऐसी छूट की वापसी भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तित नहीं होगी।
- 4- कर का आरोपण- (1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, परिवहन यान से भिन्न किसी मोटर यान का उपयोग उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे मोटर यान के सम्बन्ध में लागू दर पर एक बार देय कर का, ¹[जैसा कि जैसा कि राज्य द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये] भ्गतान न कर दिया गया हो:

¹[परन्तु किसी पुराने मोटरयान के सम्बन्ध में एक बार देय कर का भुगतान करने के बजाय ऐसे मोटरयान पर लागू वार्षिक कर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, भुगतान किया जा सकता है]

³[(1-क) इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय किसी तीन पिहया मोटर टैक्सी और 3000 किलोग्राम से अनिधिक भार वाले माल वाहन का उपयोग उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे मोटर यान के सम्बन्ध में ऐसी दर पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, वार्षिक कर का भृगतान न कर दिया गया हाँ;

परन्तु इस धारा के अधीन किसी मोटर यान के सम्बन्ध में वार्षिक कर के एवज में एक बार देय कर की ऐसी धनराशि जैसी राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, का भुगतान किया जा सकेगा।]

^{1.} उ.प्र. अधिनियम सं. 18 सन् २००९ द्वारा प्रतिस्थापित (२८.१०.२००९ से प्रभावी)

^{2.} उपधारा (2), उ.प्र. अधिनियम सं. 18 सन् 2009 निकाल दिया गया (28.10.2009 से प्रभावी)

^{3.} उ.प्र. अधिनियम सं. 18 सन् २००९ द्वारा अन्तःस्थापित (२८.१०.२००९ से प्रभावी)

¹[परन्तु यह भी कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारम्भ होने के दिनांक से परिवहन यान से भिन्न किसी मोटरयान का मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन पंजीयन की वैधता समाप्त होने के पश्चात् किसी सार्वजनिक स्थान पर उपयोग नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे मोटरयान के सम्बन्ध में लागू दर पर ग्रीन टैक्स, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, का भुगतान न कर दिया गया हो]

²[(2) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय उपधारा (1-क) में विनिर्दिष्ट वाहनों से भिन्न किसी माल वाहन, निर्माण उपस्कर यानों, विशेष रूप से डिजायन किये गये, मोटर टैक्सी (तीन पिहया मोटर टैक्सी से भिन्न) बड़ी टैक्सी और राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सार्वजनिक सेवा वाले वाहनों का उपयोग उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे यान के सम्बन्ध में लागू दर पर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, उस वाहन के सम्बन्ध में तिमाही कर का भुगतान न कर दिया गया हो:

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन किसी मोटर यान के सम्बन्ध में तिमाही कर के बजाय, ऐसी दर पर वार्षिक कर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, देय हो सकता है;]

³[(2-क) इस अधिनियम या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, उपधारा (1-क) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट यानों से भिन्न किसी सार्वजनिक यान का उपयोग उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसी दर पर मासिक कर का, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में अधिसूचित किया जाये, भृगतान न कर दिया गया हो:

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन किसी मोटरयान के सम्बन्ध में मासिक कर के बजाय तिमाही या वार्षिक कर, ऐसी दर पर जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, देय हो सकता है।

(2-ख) जहां सड़क द्वारा ले जाये जाने वाले माल के कराधान से सम्बन्धित कोई पारस्परिक करार उत्तर प्रदेश सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के मध्य किया जाय, वहां उपधारा (1-ख) या धारा 2 के अधीन कर का उद्ग्रहण उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुए भी ऐसे करार के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार होगा:

^{1.} उ.प्र. अधिनियम सं. ९ सन् २०१४ परन्तुक अन्तःस्थापित (दिनांक ०९ जुलाई, २०१४ से प्रभावी)।

^{2.} उपधारा-२ उ.प्र. अधिनियम सं. 18 सन् २००९ द्वारा प्रतिस्थापित (२८.१०.२००९ से प्रभावी)

^{3.} उ.प्र. अधिनियम सं. 18 सन् २००९ द्वारा अन्तःस्थापित (२८.१०.२००९ से प्रभावी)

परन्तु इस प्रकार उद्गृहीत कर उस कर से अधिक नहीं होगा जो इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उद्गृहीत होता।

- (3) जहां किसी परिवहन यान से भिन्न कोई मोटरयान परिवहन यान के रूप में चलता हुआ पाया जाये, उसके लिए ऐसा कर जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, देय होगा।]
- (4) ¹[*****]
- ²[4-क. कित्तपय यानों के सम्बन्ध में विशेष कर का उद्ग्रहण इस अधिनियम द्वारा या तद्वीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विशेष अवसरों यथा मेला और धार्मिक समागमों पर यात्रियों की सवारी के लिए या बारातों, पर्यटक समूहों या ऐसे अन्य आरक्षित समूहों जिन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये, को ले जाने के लिए जारी अस्थायी परिमट द्वारा आच्छादित किसी सार्वजनिक सेवा यान का उत्तर प्रदेश में प्रचालन धारा 4 के अधीन कर के साथ-साथ तब तक नहीं किया जायेगा जब तक राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित दर पर तत्सम्बन्ध में विशेष कर का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।]

5. ¹[*****]

³[6. **सार्वजनिक सेवा यान पर अतिरिक्त कर-** इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक सेवा यान का प्रचलन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक धारा 4 के अधीन संदेय कर के साथ-साथ तत्सम्बन्ध में अतिरिक्त कर का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।

7. ¹[*****]

- 8- दुर्घटना राहत निधि- ⁴[(1) किसी सार्वजनिक सेवा यान के किसी दुर्घटना में अंतर्गस्त होने से पीड़ित यात्रियों या अन्य व्यक्तियों को या ऐसे यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को राहत देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार एक निधि स्थापित करेगी जो उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि कही जायेगी। धारा 4 के अधीन उद्गृहीत कर के 2 प्रतिशत और धारा 6 के अधीन उद्गृहीत अतिरिक्त कर के 2 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि, उक्त निधि में जमा की जायेगी।
- (2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि का प्रशासन और उपयोग ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा विहित किया जाय।

^{1.} उ.प्र. अधिनियम सं. 18 सन् 2009 द्वारा निकाल दिया गया है (28.10.2009 से प्रभावी)।

^{2.} धारा ४-क उन्प्रन् अधिनियम संन् 18 सन् २००९ द्वारा अन्तःस्थापित (२८.१०.२००९ से प्रभावी)।

^{3.} धारा ६ उ.प्र. अधिनियम सं. 18 सन् २००९ द्वारा प्रतिस्थापित (२८.१०.२००९ से प्रभावी)।

^{4.} धारा ८ की उपधारा (1) उन्प्रः अधिनियम सं 18 सन् २००९ द्वारा प्रतिस्थापित (२८.१०.२००९ से प्रभावी)।

- 9- कर और शास्ति का भुगतान (1) धारा 11 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते ह्ये-
 - (एक) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन देय कर का भुगतान मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय किया जायेगाः

परन्तु किसी पुराने मोटर यान के सम्बन्ध में कर प्रत्येक वर्ष जनवरी के पन्द्रहवें दिन को या उसके पूर्व अग्रिम रूप में देय होगा;

- ¹[(दो) धारा 4 की उपधारा (1-क) के अधीन संदेय कर, मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय एक वर्ष के लिए अग्रिम में और तत्पश्चात् अगले अनुवर्ती प्रत्येक वर्ष के प्रथम कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व संदेय होगा।
- (तीन) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन संदेय कर, मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रिजस्ट्रीकरण के समय एक त्रैमास के लिए अग्रिम में और तत्पश्चात् अगले अनुवर्ती प्रत्येक त्रैमास के प्रथम कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व संदेय होगा।
- (चार) ²[(क) धारा 4 की उपधारा (2-क) के अधीन संदेय कर मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय एक माह के लिए अग्रिम में और तत्पश्चात् अगले अनुवर्ती प्रत्येक कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व संदेय होगा।]
- (ख) मेला और धार्मिक सभाओं जैसे विशेष अवसरों पर यात्रियों को वहां ले जाने और वहां सें लाने, या बारात, पर्यटक पार्टी या ऐसी अन्य रिजर्व पार्टी को सवारी के लिए जारी किये गये अस्थायी परिमट के अन्तर्गत आने वाले यानों के सम्बन्ध में ³[धारा 4-क के अधीन देय विशेष कर], का भुगतान ऐसे अस्थायी परिमट के जारी किये जाने के समय किया जायेगा।
- (2) जब कोई व्यक्ति अपने नाम से रजिस्ट्रकृत किसी मोटर यान को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करता है, तब इस सम्बन्ध में अन्तरक के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अन्तरिती मोटर यान के अन्तरण के दिनांक को या उसके पूर्व इस प्रकार अन्तरित मोटर यान के सम्बन्ध में देय कर या अतिरिक्त कर और शास्ति, यदि कोई हो, के बकाये का इस प्रकार देनदार होगा, मानों अन्तरिती उस अवधि के दौरान जिसके लिए ऐसा कर, अतिरिक्त कर या शास्ति, यदि कोई हो, के बकाये का इस प्रकार देनदार होगा, मानों अन्तरिती उस अवधि के दौरान जिसके लिए ऐसा कर, अतिरिक्त कर या शास्ति, यदि कोई हो, के बकाये का इस प्रकार या शास्ति देय हो, उक्त मोटर यान का स्वामी था।

^{1.} धारा ९ की उपधारा (1) खण्ड (दो और तीन) उन्प्रः अधिनियम सं 18 सन् २००९ द्वारा प्रतिस्थापित (२८.१०.२००९ से प्रभावी)।

^{2.} धारा ९ की खण्ड (चार) उपखण्ड (क) उन्प्रन अधिनियम संन १८ सन् २००९ द्वारा प्रतिस्थापित (२८.१०.२००९ से प्रभावी)।

^{3.} उ.प्र. अधिनियम सं. 18 सन् २००९ द्वारा प्रतिस्थापित (२८.१०.२००९ से प्रभावी)।

- (3) जहां किसी मोटर यान के सम्बन्ध में कर या अतिरिक्त कर का भुगतान उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अविध के भीतर न किया जाय, वहां देय कर या अतिरिक्त कर के अतिरिक्त कर के अतिरिक्त किया जाय, वहां देय कर या अतिरिक्त कर के अतिरिक्त कि धनराशि से अनिधिक] ऐसी दर पर जैसी विहित की जाय, शास्ति देय होगी जिसके लिए स्वामी और संचालक, यदि कोई हो, संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक देनदार होंगे।
- (4) इस अधिनियम के अधीन कर, अतिरिक्त कर या शास्ति की धनराशि की संगणना करने में, धनराशि को निकटतम रूपये तक पूर्णांकित किया जायेगा, अर्थात् एक रूपये के भाग को जो पचास पैसे या उससे अधिक हो, अगले उच्चतर रूपये तक पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम किसी भाग को छोड़ दिया जायेगा।

10 कर भुगतान किये बिना उत्तर प्रदेश में यानों का उपयोग नहीं किया जायेगा- ²[(1) धारा 9 में किसी बात के होते हुए भी,-]

- ¹[(क) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसकी अधिकारिता उत्तर प्रदेश के बाहर हो, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन दिये गये अस्थायी परिमट के अधीन कोई परिवहन यान उत्तर में नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में धारा 4 के अधीन उत्तर प्रदेश में इसके उपयोग और ठहरने के लिए कर का भुगतान न कर दिया गया हो।]
- (ख) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसकी अधिकारिता उत्तर प्रदेश के बाहर हो, उक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन दिये गये किसी राष्ट्रीय परिमट के अधीन कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश में नहीं चलाया जायेगा जब तक कि उसके सम्बन्ध में ¹[धारा 4 के अधीन कर] का, जिसकी गणना ¹[राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना विनिर्दिष्ट दर पर] की जायेगी, भुगतान विहित रीति से न कर दिया गया हो।
- (ग) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता उत्तर प्रदेश के बाहर हो, मोटर वैहिकिल्स (आल इण्डिया परिमट फार टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स) रूल्स, 1973 के साथ पिठत उक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन दिये गये परिमट के अधीन कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश में नहीं चलाया जायेगा जब तक कि उसके सम्बन्ध में ¹[धारा 4 के अधीन कर] का भुगतान विहित रीति से ¹[राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना विनिर्दिष्ट] दर से न कर दिया गया हो।

³[*****]

(2) $^{3}[*****]$

^{1.} उ.प्र. अधिनियम सं. 18 सन् 2009 द्वारा प्रतिस्थापित (28.10.2009 से प्रभावी)।

^{2.} उ.प्र. अधिनियम सं. 25 सन् 2001 दिनांक 06 अक्टूबर, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित (06.10.2001 से प्रभावी)

^{3.} उ.प्र. अधिनियम सं. 18 सन् 2009 द्वारा निकाल दिया गया है (28.10.2009 से प्रभावी)।

(3) यदि ऐसा परिवहन यान इस अधिनियम के अधीन देय कर या अतिरिक्त कर का भुगतान किये बिना उत्तर प्रदेश में चलता हुआ पाया जाय, तो ऐसा कर या अतिरिक्त कर शास्ति के साथ जो ¹[देय कर के पाँच गूने के बराबर] होगा, देय होगा।

²[परन्तु यह कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी परिमट के आधार पर दिल्ली से नोयडा, ग्रेटर नोयडा और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के भीतर अनन्य रूप से संचालित मोटर टैक्सियों के सम्बन्ध में ¹[इस धारा के अधीन कर] संदेय नहीं होगा।]

³[परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारों के साथ या उनके मध्य हुये करार के अनुसार दिये गये परिमट के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अनन्य रूप से चलाये जाने वाले मोटर टैक्सी (सी०एन०जी० संचालित) के सम्बन्ध में कर संदेय नहीं होगा।]

⁴[परन्तु यह भी कि जहां यान संचालन, अनन्य रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के मध्य पारस्परिक करार में घोषित मुक्त परिक्षेत्र में अनुज्ञात हो, जिसमें कर छूट भी अनुज्ञात हो, वहां इस धारा के अधीन संदेय कर, चित्रकूट स्थानीय क्षेत्र में उक्त करार के अनुसार पूर्णतः या आंशिक रूप से छूट प्राप्त होगा।]

- ¹[11. प्रथम कर के दायित्व पर देय धनराशि इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपबन्धित के सिवाय किसी परिवहन यान के सम्बन्ध में जब किसी कैलेण्डर माह के प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम बार कोई कर देय होता है तो धारा 4 के अधीन देय कर प्रत्येक कैलेण्डर माह या उसके भाग, जिसके सम्बन्ध में कर देय है, के लिए समुचित तिमाही कर का एक तिहाई या समुचित वार्षिक कर का बारहवाँ भाग होगा।]
- 12. यान का अनुपयोग और कर का वापस करना- (1) जब कोई व्यक्ति जिसने किसी परिवहन यान के संबंध में कर का भुगतान कर दिया है, कराधान अधिकारी के सन्तोषानुसार विहित रीति से यह सिद्ध कर दे कि मोटर यान का जिसके सम्बन्ध में ऐसे कर का भुगतान कर दिया गया है अन्तिम बार कर का भुगतान करने के समय से एक मास या उससे अधिक की लगातार अविध में उपयोग नहीं किया गया है तो वह उतनी धनराशि के वापसी का हकदार होगा जितनी वह ऐसे यान के सम्बन्ध में ऐसी अविध के प्रत्येक ⁵[तीस दिन] के लिए, जिसके लिए भुगतान किया गया हो, देय ¹[यथास्थिति तिमाही कर के एक तिहाई या वार्षिक कर के बारहवें भाग] के बराबर हो:

^{1.} उ.प्र. अधिनियम सं. 18 सन् २००९ द्वारा प्रतिस्थापित (२८.१०.२००९ से प्रभावी)।

^{2.} परन्तुक उ.प्र.अधिनियम सं. 27 सन् २००७ द्वारा अन्तःस्थापित (१९.११.२००७ से प्रभावी)।

^{3.} उ.प्र. अधिनियम सं. 18 सन् 2009 द्वारा अन्तःस्थापित (28.10.2009 से प्रभावी)।

^{4.} उ.प्र. अधिनियम सं. 39 सन् 2021 द्वारा प्रतिस्थापित (09.11.2021 से प्रभावी)।

^{5.} उ.प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 1999 दिनांक 03 मार्च, 1999 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु ऐसी वापसी तब तक अनुमन्य नहीं होगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति, उस अविध के पूर्व जिसके लिए ऐसी वापसी का दावा किया गया हो, कराधान अधिकारी के पास यान के सम्बन्ध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, टोकन यदि कोई हो और परिमट अभ्यर्पित न कर दें।

¹[परन्तु अग्रतर यह कि जहां धारा 4 की उपधारा (1-क) के अधीन किसी मोटरयान के लिए एक बार देय कर भुगतान कर दिया गया है वहां ऐसे यान के सम्बन्ध में प्रत्येक माह के लिए 1/120 के समतुल्य धनराशि वापस की जायेगी।]

(2) जहां किसी मोटर यान का, यथास्थिति संचालक या स्वामी एक मास या उससे अधिक की अविध के लिए अपने यान का उपयोग नहीं करना चाहता है वहां वह यथास्थिति, कर या अतिरिक्त कर के देय दिनांक के पूर्व उस सम्भाग के कराधान अधिकारी के पास जहां कर या अतिरिक्त कर का अन्तिम बार भुगतान किया गया हो, मोटर यान के संबंध में जारी किया गया रिजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, टोकन, यदि कोई हो और परिमट यदि कोई हो, अभ्यर्पित करेगा और ऐसे अभ्यर्पण पर ऐसे यान के सम्बन्ध में प्रत्येक पूर्ण कलेण्डर मास की उस अविध के लिए जिसके दौरान यान उपयोग में न रहे और उपर्युक्त दस्तावेज कराधान अधिकारी के पास अभ्यर्पित रहे इस अधिनियम के अधीन कोई कर या अतिरिक्त कर देय नहीं होगाः

परन्तु यदि ऐसा यान उस अविध के दौरान जब इस उपधारा में यथाउल्लिखित उसके दस्तावेज कराधान अधिकारी के पास अभ्यर्पित रहें, चलाया जाता हुआ पाया जाये, तो ऐसे यान का यथास्थिति, स्वामी या संचालक ¹[कर और अतिरिक्त कर का देनदार होगा मानो उक्त दस्तावेज अभ्यर्पित नहीं किये गये थे और कर और अतिरिक्त कर के पांच गुना देय शास्ति का भी देनदार होगा।]

(3) जहां ¹[मोटर यान] जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन एक बार देय-कर का भुगतान कर दिया गया हो, का स्वामी कराधान अधिकारी के सन्तोषानुसार विहित रीति से यह सिद्ध कर दे कि ऐसे मोटर यान का एक मास या इससे अधिक की लगातार अवधि में उपयोग नहीं किया गया है, वहां वह उक्त अवधि के लिए ¹[ऐसे कर की वापसी का हकदार होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।]

परन्तु ऐसी वापसी तब तक अनुमन्य नहीं होगी जब तक की यान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और टोकन, यदि कोई हो, स्वामी द्वारा कराधान अधिकारी को अभ्यर्पित न कर दिया जायः

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन वापस की जाने वाली कुल धनराशि इस अधिनियम के अधीन भुगतान किये गये एक बार देय कर से अधिक नहीं होगी।

^{1.} उ.प्र. अधिनियम सं. 18 सन् 2009 द्वारा प्रतिस्थापित (28.10.2009 से प्रभावी)।

- (4) उपधारा (3) के अधीन वापसी की धनराशि की गणना करने में, उस अविध के किसी भाग को जो एक मास से कम हो, छोड़ दिया जायेगा।
- (5) किसी परिवहन यान से भिन्न ऐसे मोटर यान जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया है, का स्वामी ¹[राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट] दरों पर ऐसे कर को वापस पाने का इस आधार पर हकदार होगा कि उसने ऐसे कर के भुगतान के पश्चात् ऐसे यान को स्थायी रूप से किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में लाने के फलस्वरूप ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में मोटर यानों पर कर संबंधी किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन ऐसे यान के संबंध में कर का भुगतान कर दिया है या ऐसे मोटर यान को परिवहन यान के रूप में परिविर्तित किया गया है या ऐसे मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है।
- (6) जहां ऐसा कोई व्यक्ति जिसने किसी पुराने मोटर यान के संबंध में एक बार देय कर से भिन्न कर का भुगतान कर दिया हो, कराधान अधिकारी के सन्तोषानुसार यह सिद्ध कर दे कि ऐसे मोटर यान जिसके संबंध में ऐसे कर का भुगतान कर दिया गया है, का उपयोग ऐसे कर या किस्त का अन्तिम बार भुगतान करने के समय से एक मास या इससे अधिक की लगातार अविध तक नहीं किया गया है, वहां वह उतनी धनराशि वापस पाने का हकदार होगा जितनी ऐसी अविध जिसके लिये ऐसे कर का भुगतान कर दिया गया है, के प्रत्येक पूर्ण कलेण्डर मास के लिए ऐसे यान के संबंध में देय वार्षिक कर की दर के बारहवें भाग के बराबर हो:

परन्तु ऐसी वापसी तब तक अनुमन्य नहीं होगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने कराधान अधिकारी के पास यान के सम्बन्ध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और टोकन, यदि कोई हो, उस अविध के पूर्व जिसके लिए ऐसी वापसी का दावा किया जाय, अभ्यर्पित न कर दिया हो।

- (7) किसी परिवहन यान का कोई संचालक जो उपधारा (1) के अधीन कर वापस पाने का हकदार हो, ¹[धारा 6 के अधीन] भुगतान किये गये अतिरिक्त कर के ऐसे भाग का जो, उक्त अविध के लिए आरोप्य हो उपधारा (1) के अधीन वापस पाने का हकदार होगा और ऐसी वापस की गई धनराशि की गणना उन्हीं सिद्धान्तों पर की जायेगी जैसा उक्त उपधारा में निर्धारित है।
- ²[(8) जहां किसी मोटरयान का यथास्थिति संचालक या स्वामी अपने मोटरयान का उस यान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उपयोग करने में असमर्थ है और उस यान के सम्बन्ध में जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, टोकन, यदि कोई हो, और परमिट यदि कोई हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति के साथ इस उस यान के दुर्घटनाग्रस्त होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर कराधान अधिकारी को अभ्यर्पित कर दिये जाते हैं, तो यह अभ्यर्पण दुर्घटना के दिनांक को किया गया समझा जायेगा।

^{1.} उ.प्र. अधिनियम सं. 18 सन् २००९ द्वारा प्रतिस्थापित (२८.१०.२००९ से प्रभावी)।

^{2.} उ.प्र. अधिनियम सं. 05 सन् 1999 दिनांक 03 मार्च, 1999 द्वारा जोड़ा गया।

- 13. यान को उपयोगार्थ रखने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा- (1) प्रत्येक मोटर यान का स्वामी या संचालक विहित प्रपत्र में उसके संबंध में एक घोषणा करेगा और विहित समय के भीतर कराधान अधिकारी को देगा और उसे इस अधिनियम की अपेक्षानुसार या उसके अधीन कर या अतिरिक्त कर जिसका वह ऐसे यान के सम्बन्ध में ऐसी घोषणा द्वारा देनदार प्रतीत होता हो, भुगतान करेगा।
- (2) जहां किसी मोटर यान में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि उसका स्वामी या संचालक धारा 14 के अधीन बढ़े हुए कर या अतिरिक्त कर का देनदार हो जाय, वहां ऐसा स्वामी या संचालक विहित समय के भीतर विहित प्रपत्र में किये गये परिवर्तन की प्रकृति को दर्शाते हुए एक अतिरिक्त घोषणा करेगा और घोषणा कराधान अधिकारी को देगा और उसे धारा 14 के अधीन देय कर या अतिरिक्त कर में अन्तर का भुगतान करेगा।
- 14. कर में अन्तर का भुगतान जहां किसी ऐसे मोटर यान में जिसके सम्बन्ध में कर या अतिरिक्त कर का भुगतान कर दिया गया हो, इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि वह यान ऐसा यान हो जाय जिसके संबंध में अपेक्षाकृत ऊँची दर से कर या अतिरिक्त कर देय हो वहाँ उसका स्वामी या संचालक ऐसे यान के संबंध में इस प्रकार परिवर्तन करने के पश्चात् संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक देय कर या अतिरिक्त कर की धनराशि के अन्तर का देनदार होगा।
- 15 रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में कर के भुगतान का अभिलेखन और '[प्रमाण पत्र] का दिया जाना- (1) कराधान अधिकारी मोटर यान के संबंध में दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में कर का भुगतान अभिलिखित करेगा और किसी परिवहन यान के मामले में विहित प्रपत्र में '[प्रमाण पत्र] भी जारी करेगा।
- (2) कराधान अधिकारी इस निमित विहित प्रमाण-पत्र में जो उसके द्वारा जारी किया जायेगा, यथास्थिति, ¹[धारा 6] के अधीन अतिरिक्त कर का भ्गतान अभिलिखित करेगा।
- 16-यान को रोकने और प्रवेश करने की शक्ति- कराधान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर मोटर यान का ड्राइवर यान को रोकेगा और रोक कर रखेगा जिससे कि वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन कर सके और ऐसा करने के लिये ऐसा प्राधिकारी या अन्य अधिकारी यान में प्रवेश कर सकता है और उसमें यात्रा भी कर सकता है।
- 17-समय सारणी का दिया जाना- (1) प्रत्येक मंजिली गाड़ी का संचालक ऐसे समय मे भीतर और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, कराधान अधिकारी को अपनी मंजिली गाड़ी के आगमन और प्रस्थान करने के समय को विनियमित करने वाली एक सारणी के साथ एक तिमाही में किये गये एकल यात्राओं की संख्या और अपने कारबार से संबंधित ऐसे अन्य विवरण देगा जैसा कराधान अधिकारी समय-समय पर आदेश द्वारा अपेक्षा करे।

^{1.} उ.प्र. अधिनियम सं. 18 सन् 2009 द्वारा प्रतिस्थापित (28.10.2009 से प्रभावी)।

- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समयमापनों या विवरण में किसी परिवर्तन की सूचना संचालक द्वारा कराधान अधिकारी को ऐसे परिवर्तन के प्रभावी होने के पन्द्रह दिन के भीतर दी जायगी।
- **18. अपील-** (1) ¹[धारा 4, धारा 6 एवं धारा 12 के अधीन] कराधान अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है।
- (2) अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।
- (3) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील में अपील प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।
- 19. अपराधों का दण्ड- जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करना है वह जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा और द्वितीय या अनुवर्ती तत्सदृश अपराध के लिए जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

परन्तु कोई न्यायालय ऐसे करणों के सिवाय जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे किसी ऐसे द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये पांच सौ रूपये से कम का जुर्माना आरोपित नहीं करेगा।

- 20. कर की वसूली- (1) इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर या अतिरिक्त कर या शास्ति का बकाया भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूलीय होगा।
- (2) इस अधिनियम के अधीन देय कर, अतिरिक्त कर और शास्ति मोटर यान जिसमें उसके उप साधन भी हैं, पर जिसके संबंध में यह देय हो, प्रथम भार होगा।
- ²[(3) कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष के कर और अतिरिक्त कर और शास्ति के बकायों के लिए यथास्थिति स्वामी या प्रचालक से यथाविहित प्रपत्र में मांग करेगा, जिसमंे पूर्ववर्ती वर्षाें के कर, अतिरिक्त कर या शास्ति, यदि कोई हो, सम्मिलित होंगे।]
- 21. साक्षियों आदि को हाजिर होने को प्रवृत करने की शक्ति- अपील प्राधिकारी या इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने वाले कराधान अधिकारी को निम्नलिखित के संबंध में ऐसी सभी शक्तियां होंगी जो किसी सिविल न्यायालय में किसी सिविल वाद की सुनवाई के समय निहित होती है:-
- (क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना और शपथ या प्रतिज्ञान पर या अन्यथा उनकी परीक्षा करना और साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना या अनुरोध करना,

उ.प्र. अधिनियम सं. 18 सन् 2009 द्वारा प्रतिस्थापित (28.10.2009 से प्रभावी)।

^{2.} धारा २० उपधारा (३) उ.प्र. अधिनियम सं. १८ सन् २००९ द्वारा अन्तःस्थापित (२८.१०.२००९ से प्रभावी)।

- (ख) किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना, और
- (ग) पूर्ववर्ती खण्डों में विर्निष्ट ऐसी शक्तियों का प्रयोग करके जारी किये गये आदेशों की अवज्ञा करने वाले दोषी व्यक्तियों को दण्डित करना।
- 22. कर का भुगतान न करने की दशा में परिवहन यान को निरुद्ध करना- (1) जहां राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति द्वारा कर, अतिरिक्त कर या शास्ति, यदि कोई हो, का भुगतान किये बिना किसी ¹[मोटर यान] का उपयोग किया गया है या किया जा रहा है, वहां ऐसा अधिकारी ¹[मोटर यान] को अभिग्रहीत और निरुद्ध कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसी कार्यवाही कर सकता है या करा सकता है जिसे वह ¹[मोटर यान] की सुरक्षित अभिरक्षा के लिये आवश्यक समझे और विशेष रूप से, वह ऐसे ¹[मोटर यान] के ड्राइवर से उसे निकटतम् पुलिस थाने या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य स्थान तक पहुंचने की अपेक्षा कर सकता है:

परन्तु यान को अभिग्रहीत करने वाला अधिकारी ऐसे अभिग्रहण के अड़तालिस घंटे के भीतर सम्बन्धित कराधान अधिकारी को ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट भेजेंगा।

- (2) इस धारा के अधीन अभिग्रहीत या निरूद्ध किसी परिवहन यान को, कर, अतिरिक्त कर, शास्ति या अन्य देयों जिनका भुगतान न करने के कारण यान इस प्रकार अभिग्रहीत या निरूद्ध किया गया था, का भुगतान करने पर, कराधान अधिकारी द्वारा तुरन्त छोड़ दिया जायेगा।
- ²[(3) जहां कर, अतिरिक्त कर, शास्ति या अन्य देय धनराशि का भुगतान, जिसका भुगतान न करने के कारण किसी परिवहन यान को इस धारा के अधीन अभिगृहीत या निरुद्ध किया गया हो, यान के अभिग्रहण या निरोध के दिनांक से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर उपधारा (2) के अधीन न कर दिया जाये, वहां परिवहन आयुक्त, किसी अन्य ऐसी कार्यवाही पर, जो इस अधिनियम के अधीन की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विहित रीति से यान की सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री करवा सकता है और ऐसे यान के विक्रय आगम को ऐसे यान के सम्बन्ध में देय कर, अतिरिक्त कर, शास्ति या अन्य धनराशि और ऐसी नीलामी का व्यय, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित कर लिया जायेगा।]
- 23. न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक- इस अधिनियम के अध्यधीन राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा अपने कृत्यों के संबंध में प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में किये गये किसी कार्य या की गयी किसी कार्यवाही या जारी किये गये किसी आदेश या निदेश के बारे में किसी सिविल न्यायालय को कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

^{1.} उ.प्र. अधिनियम सं. 18 सन् २००९ द्वारा प्रतिस्थापित (२८.१०.२००९ से प्रभावी)।

^{2.} उ.प्र. अधिनियम सं. 28 सन् 2001 दिनांक 06 अक्टूबर, 2001 द्वारा जोड़ा गया।

- 24-अपराधों का प्रशमन- (1) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जैसी विहित की जाय, कराधान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन ऐसे अपराध के लिय उपबन्धित अधिकतम जुर्माने के पचास प्रतिशत के समतुल्य धनराशि की वसूली पर शमन किया जा सकेगा।
 - (2) जब किसी अपराध का इस प्रकार शमन-
- (एक) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, तब अपराधी ऐसे अपराध के लिये अभियोजन का उत्तरदायी नहीं होगा:
- (दो) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात किया जाय, तब शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा और उस व्यक्ति के विरुद्ध उसी अपराध के लिये कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- 25. अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान कराधान अधिकारी की ऐसे अपराध को बनाने वाले तथ्यों की लिखित रिपोर्ट पर के सिवाय नहीं करेगा।
- 26. कम्पनियों द्वारा अपराध- (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तद्गुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दिण्डित किया जा सकेगा।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात से ऐसा व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने अपराध को रोकने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध उस कम्पनी के किसी सचिव, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुमति से किया गया है, या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, तो कम्पनी का ऐसा सचिव, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तद्रुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जाय जा सकेगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिये-

- (क) ''कम्पनी'' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है: और
 - (ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है।

- 27. सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण- इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश या निर्देश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशियत किसी बात के लिये राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।
- 28 राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।
- (2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित समस्त या किन्हीं प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है, अर्थात -
 - (क) वह रीति जिसके अनुसार और प्रपत्र जिसमें और प्राधिकारी जिसे इस अधिनियम के अधीन कर या अतिरिक्त कर के भुगतान के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, विहित करना
 - (ख) किसी प्रमाण-पत्र, घोषणा, नोटिस, रसीद या टोकन का प्रपत्र और उसमें उल्लिखित किये जाने वाले विवरण और किसी मोटरयान पर टोकन प्रदर्शित करने की रीति विहित करना।
 - (ग) वह रीति जिसके अनुसार फीस, जिसका भुगतान करने पर इस अधिनियम के अधीन टोकन या प्रमाण-पत्र दिया या अन्तरित किया जा सकता है, विहित करना,
 - (घ) सामान्य रुप से ऐसे प्राधिकारियों को जिनके द्वारा और ऐसी रीति जिसके अनुसार इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के संबंध में या उससे आनुषंगित किसी कर्तव्य का पालन किया जा सके, विहित करना,
 - (ङ) कर, अतिरिक्त कर और शास्ति के भुगतान और उसकी वसूली की रीति को विनियमित करना,
 - (च) वह रीति विनियमित करना जिसके अनुसार कर या अतिरिक्त कर से छूट और वापस की जाने वाली धनराशि का दावा किया जा सके और उसे स्वीकृत किया जा सके,
 - (छ) अपील के लिये फीस विहित करना और ऐसे रीति विनियमित करना जिसके अनुसार अपील संस्थित की जा सके और उसकी सुनवाई की जा सके।
 - (ज) इस अधिनियम के अधीन पारित आदेशों या जारी नोटिसों की तामीली की रीति विहित करना,
 - (झ) धारा-17 अधीन समय सारणी और अन्य विवरण प्रस्तुत करने का समय और रीति विहित करना,
 - (ञ) वह रीति विहित करना जिसमें मार्गों के वर्गीकृत किया जाना है

- (ट) वह रीति विहित करना जिससे उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना सहायता निधि प्रशासित की जायेगी, और इसका उपयोग किया जायेगा,
- (ठ) कोई अन्य विषय जिसके लिये नियम बनाया जाना हो या बनाया जा सकता है,
- 29. किताइयों को दूर करने की शिक्त- (1) राज्य सरकार किसी किठनाई को दूर करने के प्रयोजनों के लिये, अधिसूचित आदेश द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी अविध के दौरान जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के आधीन रहते हुये वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे प्रभावी होगा,

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

- (2) उपधारा (1) के आधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम- 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध, जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं, लागू होंगे।
- (3) उपधारा (1) के आधीन कोई आदेश किसी न्यायालय में इस आधार पर विवादग्रस्त नहीं किया जायगा कि उपधारा (1) में यथार्निदिष्ट कोई कठिनाई नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था
- **30. निरसन और अपवाद-** (1) संयुक्त प्रान्त मोटरगाड़ी कराधान अधिनियम-1935 उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 और उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी (मालकर) अधिनियम, 1964 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।
- (2) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के निरसन का कोई प्रभाव ऐसे निरसन के दिनांक के पूर्व उपगत किसी दायित्व पर और किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष उक्त दिनांक को ऐसी अधिनियमितियों के आधीन लंबित कार्यवाहियों पर नहीं पड़ेगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात संस्थित उपर्युक्त किसी ऐसे दायित्व से संबंधित समस्त कार्यवाहियां जारी की जाये और उसका निस्तारण इस प्रकार किया जायेगा मानों यह अधिनियम प्रवृत नहीं हुआ हो।

(सभी अनुसूची (प्रथम से छठी तक) उ.प्र. अधिनियम सं. 18 सन् 2009 द्वारा निकाल दी गयी (28.10.2009 से प्रभावी))